संख्या-29/2026/718/77-6-26-01(एफडीआई/2024टीसी-1

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
इन्वेस्ट यू0पी0।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ: दिनांक 24 मार्च, 2026**

विषयः फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफ0डी0आई0), विदेशी पूंजी निवेश, फॉर्च्यून ग्लोबल-500 एवं फॉर्च्यून इण्डिया-500 निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 के अंतर्गत मेसर्स इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड एवं मेसर्स विजन सोर्स एलएलपी को आवंटित भूमि के सापेक्ष सब्सिडी की धनराशि के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1009/77-6-25/1765296, दिनांक 13.05.2025 एवं पत्र संख्या-1147/77-6-25/1765296, दिनांक 11.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत नीति-2023 के अन्तर्गत इम्पावर्ड कमेटी की सम्पन्न बैठक दिनांक 27.03.2025 एवं दिनांक 15.05.2025 का कार्यवृत्त क्रमश: निर्गत किया गया।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि 'फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफ0डी0आई0), विदेशी पूंजी निवेश, फॉर्च्यून ग्लोबल-500 एवं फॉर्च्यून इण्डिया-500 निवेश प्रोत्साहन नीति-2023' के अंतर्गत सम्यक विचारोपरान्त **मेसर्स इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड** को आवंटित भूमि रकबा 103,942 वर्गमीटर, कुल लागत रू. 2,55,87,40,214.00 का 75% धनराशि रू. 1,91,90,55,161.00 की फ्रंट-एंड लैंड सब्सिडी की प्रतिपूर्ति/भुगतान डीएमआईसी, आईआईटीजीएनएल को किये जाने एवं **मेसर्स विजन सोर्स एलएलपी** को ग्रेटर नोएडा द्वारा आवंटित भूमि रकबा 29767 वर्ममीटर कुल प्रीमियम मूल्य रू. 87,14,58,230.61 के सापेक्ष अनुमन्य सब्सिडी की पुनरीक्षित धनराशि रू. 65,07,64,294.00 की प्रतिपूर्ति/भुगतान ग्रेटर नोएडा को किये जाने का सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है।

3- अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त के क्रम में डीएमआईसी, आईआईटीजीएनएल, ग्रेटर नोएडा एवं यीडा को देय फ्रंट एण्ड लैंड संब्सिडी के रूप देय प्रश्नगत् धनराशि की प्रतिपूर्ति के संबंध में प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-29/2026/718(1)/77-6-26-01(एफडीआई)/2024 टीसी-1तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/वित्त, न्याय, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, नियोजन, एमएसएमई, स्टाम्प एवं निबन्धन, राज्यकर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/यूपीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/गीडा।
6. प्रबंध निदेशक, पिकप।
7. डीएमआईसी, आईआईटीजीएनएल प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा/यीडा को आशय से प्रेषित कि नोडल एजेन्सी के माध्यम से प्रश्नगत धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने का प्रस्ताव अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राज कुमार

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।